


Handwritten text at the top of the page, appearing as a list or series of notes.

Handwritten text in the middle section of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs.

Handwritten text line located below the main body of text.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding note.

Handwritten signature and text at the bottom right corner of the page.

Handwritten text in Chinese characters, appearing as bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines across the page.

Handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and includes a horizontal line underneath.

गु0न0-31/2024

उनवान:- हरिसिंह बनाम पप्पू

अर्ज है। कि यादपत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 22 कुल रकवा 3.95 है0 मे वादीगण को प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 को 1/8-1/8 हिस्से का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे। वादीगण व प्रतिवादी न0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया है। अतः वादीगण व प्रतिवादी न0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण का दावा बावत घोषणा खातेदारी स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि ग्राम गाजीपुर के ख0न0 241/0.16, 243/0.16, 244/740/0.06, 252/741/0.05, 253/0.18, 256/0.14, 295/0.21, 300/0.03, 301/0.22, 329/0.27, 341/0.26, 346/0.05, 349/0.06, 375/0.19, 402/0.22, 403/0.17, 488/0.42, 489/0.04, 515/0.31, 544/0.23, 547/0.23, 548/0.29 कुल किता 22 कुल रकवा 3.95 है0 मे वादी न0 1 हरिसिंह पुत्र कंचन हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/4, वादी न0 2 गिराज पुत्र कंचन हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/4, वादीन0 3 भोला पुत्र कंचन हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/4, तथा प्रतिवादी न0 1 पप्पू पुत्र धर्मसिंह हिस्सा 1/4 के स्थान पर हिस्सा 1/8, प्रतिवादी न0 2 श्रीराम पुत्र धर्मसिंह हिस्सा 1/4 के स्थान पर हिस्सा 1/8 दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी (सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदम सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापूर सिटी
टोडाभीम, जिला-गंगापूर सिटी